सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 133ए/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

नन्दा पुत्र शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राज. अधि.

निर्णय

दिनांकः– 28.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कादेडा में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता स. 1009 खसरा नम्बर 1386 रकबा 0.85 हैक्ट खाता संख्या 409 खसरा नम्बर 3104, 3149, 3150, खाता संख्या 407 खसरा नम्बर 1309, खाता संख्या 406 खसरा नम्बर 1307, 1308 भूमि में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम बतौर खातेदारी काश्तकार दर्ज हे। जिसमें वादी का ही कब्जा काश्त निरन्तर बैरोक टोक चला आ रहा है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का वर्णित आराजीयात के वादी के हिस्से में हक अधिकार नहीं है और न ही हो सकता है। वादी का कई मरतबा निवेदन करने पर भी अन्य खातेदारान द्वारा वादी की आराजी व खुद कि आराजी का सीमाज्ञान नहीं करवाया तब वादी ने प्रार्थना पत्र वास्ते सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया । वादी की आराजी की तरफ बढकर आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। इसलिये वादी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी द्वारा पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। आज दिनांक 28.05.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थना पत्र में अंकित 4196/1386 रकबा 0.21 नन्दा पि. शंकर कौम कुम्हार, खसरा नम्बर 3104, 3149, 3150 रकबा क्रमशः 0.32 है, 0.16 है, 0.33 है, नन्दा 1/4, घीसा पि. शंकर 1/2 कमला पत्नि नन्दा 1/4 कौम कुम्हार, खसरा नम्बर 1309, 1307, 1308 रकबा क्रमशः 1.44 है, 1.14 है, 0.24 है नन्दा घीसा पि. शंकर 1/2 कुम्हार, आशाराम पि. छोटू 1/ कौम कीर सा.देह. खातेदार होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज होने से वाद पत्र का संतुलन वादी के पक्ष में होने से वादी का दावा प्रेमापेशाई होना पाया जाता है।

अतः वादी का वादपत्र वाके ग्राम ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित वाद वर्णित आराजीयात पर मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 28.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट कादेडा में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी